न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या 13/2019

1. कैरो सिंह पुत्र श्री गुरा सिंह जाति जटसिख निवासी 9 जी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

– – प्रार्थी

–:: बनाम ::–

1. ओमप्रकाश } पिसरान श्री रामस्वरूप जाति ब्राह्मण
2. कृष्णलाल } निवासीयान चूनावढ तह. श्रीगंगानगर
3. अमनदीप कौर पत्नी } श्री अमृतपाल सिंह निवासीयान
4. खुशविन्द्र सिंह पुत्र } 9 जी छोटी तह. व जिला श्रीगंगानगर
5. जीवनजोत पुत्री }
6. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर (राज0)

– – अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत रास्ता

– :: उपस्थिति अभिभाषकगण :: –

1. श्री सुभाष मिढढा –प्रार्थी
2. श्री ओमप्रकाश बतरा –अप्राथी 1 व 2
3. जसवीर सिंह मिशन –अप्रार्थी 4

दिनांक 15.05.2019 को अप्रार्थी संख्या 3 व 5 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 24.01.2020

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता उपरोक्त अनवान का प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी के पास चक 9 जी छोटी तहसील श्रीगंगानगर पटवार हल्का 27 जी जी के मुरब्बा नम्बर 37 में किला नम्बर 6 ता 16 में 2.7830 एंव किला नम्बर 17 से 25 में 2.2770 कृषि भूमि स्वयं व परिवार के सदस्यों के नाम से दर्ज है जिसका कि प्रार्थी मालिक है। जमाबंदी संलग्न प्रार्थना पत्र है। प्रार्थी द्वारा अपने उक्त रकबा में आने–जाने के लिए रास्ता मुरब्बा नम्बर 38 के किला नम्बर 23, 24 व 25 में होकर अपने मुरब्बा नम्बर 37 के किला नं0 20 व 21 में प्रवेश कर अपने रकबा किला नं0 11 में पहुंचते है, जो कि काफी वर्षों से चल रहा है मुरब्बा नम्बर 37 का किला नं0 20 व 21 अप्रार्थी संख्या 3 ता 5 का है जिसमें से होकर अपने रकबा में प्रवेश कर रहे है। प्रार्थी के पास अन्य कोई रास्ता नहीं है। अप्रार्थीगण द्वारा अब प्रार्थी को उक्त रास्ता से आने–जाने के लिए बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। जबकि प्रार्थी द्वारा उन्हें कई बार रास्ता स्वीकृत करवाने के लिए भी

निवेदन किया है। उसके उपरांत भी कई बार रूकावट पैदा करते है तथा यह धमकी देते है कि उक्त रास्ता बंद कर दिया जावेगा। प्रार्थी के रकबा को आने–जाने के लिए इस रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है जिसे प्रार्थी स्वीकृत करवाना चाहता है तथा प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को यह भी निवेदन किया कि उक्त रास्ते की भूमि के बदले भूमि भी देने को तैयार है। परन्तु उसके उपरांत भी अप्रार्थीगण जो कि मुरब्बा नम्बर 38 व 37 के मालिक है। आना–कानी कर रहे है तथा प्रार्थी को एलानियां धमकी दी कि उक्त रास्ता बंद कर दिया जावेगा। इस कारण प्रार्थी को रास्ता स्वीकृत करवाने के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए चक 9 जी छोटी के मुरब्बा नम्बर 38 के किला नं0 23, 24, 25 में दो–दो बिस्वा रास्ता तथा मुरब्बा नम्बर 37 के किला नं0 20 व 21 जो मुरब्बा नम्बर 38 के किला नं0 16 व 25 के साथ चिपता हुआ है में से दो–दो बिस्वा रास्ता स्वीकृत करने का आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसके तथ्यानुसार अप्रार्थी को जानकारी नहीं की प्रार्थी के नाम कौनसा रकबा है। मुरबा न0 38 के किला न0 23, 24, 25 व 17,18, में 5 बीघा रकबा खरीद की हुई है खरीद के आधार पर अप्रार्थी का इंतकाल हो चुका है अप्रार्थी मु0न0 38 के किला न0 17, 18, 23, 24, 25, कुल 5 बीघा रकबा का मालिक है बाकी जो मद में दर्ज किया गया स्वीकार है। यह कहना सरासर गलत है कि अप्रार्थीयान द्वारा कोई धमकी दी गई हो। लिहाजा जबाव प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके अर्ज पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थी संख्या 4 को जवाब हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के पश्चात् जवाब पेश नहीं करने पर दिनांक 02.08.2019 को अप्रार्थी संख्या 4 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र बंद किया गया।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसके अनुसार मुताबिक जमाबदी सम्वत 2068–71 चक 9 जी छोटी के के मु0 न0 37 के किला न0 20 व 21 अमनदीप कौर पत्नि अमृत पाल सिह, खुशविन्द्र सिह पुत्र अमृतपाल सिह जीवन ज्योत पुत्री अमृतपाल सिह के नाम बहि0ब0 खातेदारी दर्ज है जो पंजाब एण्ड सिघं बैक शाखा चूनावढ के नाम रहन दर्ज है। मु0 न0 38 के किला न0 23, 24, 25 का रकबा ओम प्रकाश–कृष्ण लाल पि0 रामस्वरूप जाति ब्रम्हाण बहि0बराबर खातेदारी दर्ज है जिसमे दो–दो विस्वा रास्ता चाहा गया है उक्त रकबा राजस्व रिकार्ड मे सयुक्त खाता मे दर्ज रिकार्ड है, जमाबदी के अनुसार सहखातेदारो को पक्षकार बनाया गया है। जमाबन्दी की प्रति अवलोकनार्थ संलग्न प्रेषित है। प्रार्थी के द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा कोई सुविधा जनक रास्ता नहीं है। मौका नक्शा सलग्न है। मौका अनुसार प्रार्थी मु0 न0 39 के किला न0 25 तक स्वीकृत शुदा रास्ता है व मु0 न0 38 के किला न0 20, 21 मे गैर मु0 शमशान दर्ज है परन्तु मौका पर मु0 न0 38 के किला न0 21 ता 25 मे रास्ता चल रहा है जो रिकार्ड के अनुसार स्वीकृत नहीं है। मु0 न0 37 के किला न0 20 व 21 मे रास्ता नही चल

राजस्व)

रहा है। यह है कि प्रार्थी को अन्य खातेदार की भूमि मे से रास्ता दिया जाता है तो उसके बदले मे माननीय न्यायालय के निणर्य के अनुसार रास्ता मे आई भूमि के बदले भूमि व डी एल सी की दुगनी राशि जमा करवाने हेतू प्रार्थीगण के द्वारा शपथ पत्र दिया गया है।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में जमाबंदी चक 9 जी छोटी पटवार हल्का 27 जी जी सम्वत् 2068–2071 के मुरबा नम्बर 37, 38 पेश की।

विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं जवाब प्रार्थना पत्र, तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदियों का अवलोकन किया गया। तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी के पास अपने जाने के लिए रास्ते का अभाव है और प्रार्थी को आने जाने हेतु रास्ता दिया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(क) के अन्तर्गत चक 9 जी छोटी के मुरब्बा नम्बर 38 के किला नं0 23, 24, 25 में दो–दो बिस्वा रास्ता तथा मुरब्बा नम्बर 37 के किला नं0 20 व 21 जो मुरब्बा नम्बर 38 के किला नं0 16 व 25 के साथ चिपता हुआ है में से दो–दो बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाता है। रास्ते के मुआवजे के फलस्वरूप डी.एल.सी. का दुगना तहसील कार्यालय में जमा करवाने के उपरान्त उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में रास्ते का नियमानुसार अमल दरामद किया जावे। जमा राशि तहसीलदार जिसकी भूमि में से रास्ता स्वीकृत किया गया है उसको अपने स्तर से वितरित करेगा।

निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर को पालना हेतु भिजवाई जावे।

पत्रावली निर्णयशुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकलीम दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 24.01.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2020.02.07 17:16:37 IST
Reason: SelfAttested
Location: